पत्रांक -बि.प्र.सु.मि.सो./आर.टी.पी.एस.-07/2015 सो0- ....1177....

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार
प्रशासनिक पदाधिकारी

सेवा में,

श्री अशोक कुमार
वरीय तकनीकी निदेशक
NIC, पटना

पटना, दिनांक- 30/07/2021

विषयः- **गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के अनुमोदित प्रपत्र के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक-5444, दिनांक-02.06.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभागीय प्रासंगिक पत्र के द्वारा गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में यह दिशा निर्देश परिचारित किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रकाशित सूची के अतिरिक्त बिहार राज्य की अन्य सभी जातियों को गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत मानते हुए इन जातियों के अभ्यर्थियों को उनकी संगत जाति से संबंधित जाति प्रमाण- पत्र उनके अभ्यावेदन के आधार पर निर्गत किया जा सकता है तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जांचोपरांत उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। इस पत्र की प्रति मिशन कार्यालय के ज्ञापांक-889/ सो0, दिनांक-16.06.2021 द्वारा आपको प्रेषित है।

प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में गैर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा अनुमोदित किए गए प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि तदनुरूप सॉफ्टवेयर में यथाशीघ्र प्रावधान कर लेने की कृपा की जाए।

अनु.-यथोक्त।

विश्वासभाजन
30/07/2021
(मनोरंजन कुमार)
प्रशासनिक पदाधिकारी

ज्ञापांक -बि.प्र.सु.मि.सो./आर.टी.पी.एस.-07/2015 सो0- ....1177...., दिनांक-....30/07/2021....
प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2021
प्रशासनिक पदाधिकारी

विहित प्रपत्र

गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र

(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

कार्यालय का नाम–..

प्रमाण पत्र संख्या–...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / सुश्री..................................पिता–श्री...
माता–..ग्राम / नगर / मोहल्ला...डाकघर...........................
थाना–..प्रखण्ड..............................अनुमण्डल..............................जिला.........................
राज्य............................के......................................जाति के सदस्य हैं, जो गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत है।

श्री / श्रीमति / सुश्री...............................पिता / पति (विवाहित महिला के मामले में)–श्री.................................
एवं उनका परिवार वर्तमान में ग्राम / नगर / मोहल्ला....................डाकघर.......................थाना.....................
प्रखण्ड.......................अनुमण्डल....................................... जिला.......................... राज्य.............................. में
निवास करता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
पदनाम–

FILE PATH-D/MINHAJ SIR-TIPNI-2